रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 1972/वैशाख 15, 1894
No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 1972/VAISAKHA 15,

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th May 1972

S.O. 336(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Prakash Chand Sethi, a member elected to that House from 32 Indore Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 8th June, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person to fill the said vacancy.

[No. 100/MP/HP/1/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 मई, 1972

एस० ओ० 336(अ).—यतः मध्य प्रदेश राज्य के 32—इन्दौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री प्रकाश चन्द सेठी द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 8 जून, 1972 से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/म० प्र०—लो० स०/1/72 (1)]

S.O. 337.(E).—In pursuance of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 32—Indore Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/1/72(1), dated the 5th May, 1972—

(a) the 12th May, 1972 (Friday), as the last date for making nominations,

(b) the 13th May, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 15th May, 1972 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 4th June, 1972 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken, and

(e) the 8th June, 1972 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MP-HP/1/72(2).]

एस० आ० 337(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र०—लो०स० 1/72(1), तारीख 5 मई, 1972 के अनुसरण में मध्य प्रदेश राज्य में 32—इन्दौर संसदीय क्षेत्र होने वाले निर्वाचन के बारे में :—

(क) नाम निर्देशन के लिए अन्तिम तारीख	12 मई, 1972 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	13 मई, 1972 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	15 मई, 1972 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	4 जून, 1972 (रविवार) ; तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन-समाप्त कर दिया जाएगा	8 जून, 1972 (बृहस्पतिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/म० प्र०—लो० स०/1/72(2)]

S.O. 338(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7-30 A.M. to 4-30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 32—Indore Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/MP-HP/1/72(1), dated the 5th May, 1972.

[No. 100/MP-HP/1/72(3).]

By Order.

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 338(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/म० प्र०/लो० स०/1/72 (1) तारीख 5 मई, 1972 के अनुसरण में, 32-इन्दौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/म० प्र०/लो० स०/1/72 (3)]

आदेश से,

बी० नागसुब्रमण्यन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972